

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर यमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
रुघनाथ पुत्र डालूराम जाति रेगर वगै. यनाम कानाराम पुत्र नंदाराम जाति मेघवाल वगै.  
सा. जीजोट तह. कुचामन सिटी सा. जीजोट तह. कुचामन सिटी

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 3 L / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
07.02.2023	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योदूराम चौधरी ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।</p> <p>13/3/23 पत्रावली पेश हुई। बकील वार अध्वक्ष के द्वारा आज 13/3/23 का त्यजन रखा है। पत्रावली दिनांक 25/5/23 को पेश हो।</p> <p>8/5/23 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023" केस कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजकीय गाँधी सेवा केन्द्र में आज पेश हुआ। अधिवक्ता वादी / प्रतिवादी हाजीर / गैर हाजीर। पत्रावली वादी / प्रतिवादीगण हाजीर / गैर हाजीर। पत्रावली के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 24/7/23 को पेश हो।</p> <p>24/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार वधारे है पत्रावली दिनांक 10/10/23 को पेश हो।</p> <p>10/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार वधारे है पत्रावली दिनांक 26/12/23 को पेश हो।</p> <p>26/12/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं को बाह-बाह धावाज दिलाई गई जिसके बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। अतः वादीगण का वाद पत्र अद्यु हाजीर अहम जैकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व खारिज कर्षा हो।</p>	<p>(अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>



उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डिडवाना-कुचामन)